मुख्य अभियंता–5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

पत्रांक–II मु0अ0–5 प0पु0–01–120/2025 1267 /पटना, दिनांक– 29/4/25

प्रेषक,

ई0 जय किशोर ठाकुर,
मुख्य अभियंता–5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **सिवान–1**

विषयः शीर्ष 4515 MMGSUY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, **सिवान–1 के अधीन** RRSMP/24-25 Siwan-1/05 **(Tender-ID 139504)** निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01 792/2025 1495 अनु0 दिनांक–28.04.2025

महाशय,

शीर्ष 4515 MMGSUY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, **सिवान–1 के अधीन** RRSMP/24-25 Siwan-1/05 **(Tender-ID 139504)** निर्माण कार्य के **निविदा** के वित्तीय बीड में **सफल निविदाकार Anil Kumar Prasad (Bid ID-610931)** द्वारा **उद्धत** दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से **0.10** प्रतिशत कम है, अर्थात कुल राशि **22,17,65,850.00 (बाईस करोड़ सत्रह लाख पैसठ हजार आठ सौ पचास)** रू0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक नें यह कार्य आवंटित किया जाता है। **इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।**

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।

3. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमंडल, सिवान–1** संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जॉच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेगें कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित सवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये सवेदंक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

16. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में **अंकित शीर्ष** अन्तर्गत होगा।

17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि

कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरूद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।

18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

19. एकरारनामा से पहलें निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, **सिवान–1** तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, **सिवान** अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्य क्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।

20. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

21. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेगें तथा इस कार्यालय को सूचित करेगें।

22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

25. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certifate and GST Clearance Certifate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

26 कार्य के कार्यान्वन में VJ के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

27. निविदा में यंत्र–संयत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र–संयत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र–संयत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

28. संवेदक से बीड वैधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करें।

29. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **सिवान–1** को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक–मु0अ0- 4–(मु0) विविध–23–291 / 2014–131 पटना दिनांक–13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

30. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

31.प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह0) 29.04.25
मुख्य अभियंता–5

ज्ञापांक II/मु0अ0– 1267 /पटना, दिनांक– 29/4/25

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह0) 29.04.25
मुख्य अभियंता–5

ज्ञापांक – II/मु0अ0– 1267 /पटना, दिनांक– 29/4/25

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अंचल, सिवान** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 29.04.25
मुख्य अभियंता–5

ज्ञापांक II /मु0अ0– 1267 /पटना, दिनांक– 29/4/25

प्रतिलिपि : सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता–5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह0) 29.04.25
मुख्य अभियंता–5